# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | हेरिटेज लेजर प्रा.लि. बनाम सरकार<br>811/2025<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 13.10.25 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 14/10/2025 को पेश हो। | |
| 14.10.25 | आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश 28/03/2025 पारित करते हुये अपीलाधीन आराजी के बाबत अप्रार्थी स्वयं या अन्य आदमीयो, क्रेता, ठेकेदार एजेन्ट के मार्फत वाद भूमि पर किसी प्रकार का अस्थाई, स्थाई निर्माण नही करे, वादभूमि पर बिना अनुमति के अकृषिक, वाणिज्यिक, औधोगिक, संस्थानिक गतिविधियां संचालित न करे, वादभूमि को रहन, बैचान व अन्य दीगर तरीके से अन्तरण न करे। वादभूमि पर बिना अनुमति विधुत कनेक्शन व पेयजल कनेक्शन न करावे। वादभूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी हेरिटेज लेजर द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।<br><br>अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 3 में तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल द्वारा अंकित किया गया है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि खातेदारी शुदा सम्पदा है, जिनको पक्षकारो द्वारा बिना भू-रूपान्तरण कराये अकृषि कार्य हेतु उपयोग में ली जा रही है अथवा ली जाने की कोशिश में है, से ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट था कि स्वयं लैण्ड होल्डर तहसीलदार द्वारा केवल मात्र सम्भावना के आधार पर ही विचाराधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार केवल एक रिकार्डेड खातेदार को परेशान करने की नियत से ही विचाराधीन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जबकि अपीलार्थी अपनी भूमि पर केवल मात्र कृषि कार्य कर रहे मजदूरो के विश्राम के लिये तथा पशुधन के रखरखाव के लिये ही निर्माण कर रहा है एवं कानूनन भी एक खातेदार/कृषक अपनी कृषि भूमि में अपने सम्पूर्ण हिस्से के 1/50 भाग पर बिना किसी अनुमति के निर्माण कर सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों का सही रूप से संज्ञान लिये बगैर एवं अपीलार्थी जो एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, को नोटिस/सूचना दिये बगैर एवं सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही | |

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

हैरिटेज लेजर प्रा.लि. बनाम सरकार

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 811/2025 | |

एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित करने में गम्भीर क़ानूनी त्रुटी कारित की है, जिससे अपीलार्थी के कृषि अधिकारों का हनन हो रहा है एवं अपीलार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित हो रही है। अत: क़ानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर मनमाने रूप से पारित एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि कृषि भूमि पर अकृषि कार्य कर कृषि भूमि को खुर्द-बुर्द किये जाने के तथ्यों के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से अपीलाधीन आदेश पारित कर कृषि भूमि को संरक्षित रखा गया है। अत: अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किंया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी द्वारा की गयी बहस उचित प्रतीत होती है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार किशनगढ़-रेनवाल द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन प्रार्थना पत्र धारा-177 के बिन्दु संख्या 3 में अंकित तथ्य सम्भावना पर आधारित होना जाहिर होता है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 27/03/2025 में प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 72 रकबा 0.9104 हैक्टेयर में से 0.0067 हैक्टेयर पर बिना संपरिवर्तन कराये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग के तथ्य अंकित किये गये है। ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलार्थी को नोटिस/सूचना दिए एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर तथा तथ्यों का समुचित परिक्षण किये बगैर ही एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित करने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी किया जाना जाहिर होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28/03/2025 विधिसम्मत प्रतीत नही होने से निरस्त किया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर